

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. 2022E(GC)12-112(86)

New Delhi, dt. 28.11.2022

The General Managers,
 East Central Railway, Hajipur,
 South Western Railway, Hubli.

Sub: Transfer of HAG/IRSE post (PC:03EC3P005) from East Central Railway to South Western Railway.

Sanction of the Ministry of Railways is hereby accorded to transfer the HAG/IRSE post (PC: 03EC3P005) of CPD/BW from ECR to SWR for its operation as PCSO/SWR.

2. Operation of the HAG/IRSE post(PC: 03EC3P005) as PCSO at SWR will be effective from the date of release of the post by ECR or from the date of actual operation of the post at SWR, whichever is later.
3. ECR is advised to discontinue operation of SAG post (Old PC: 12686) which was upgraded to HAG as CPD/BW in Cadre Review, if not done earlier.
4. This issue with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Signed by Ram Ved Shillay

Date: 28-11-2022 14:36:30

(Ram Ved Shillay)

Dy. Director-II, Estt.(Gaz. Cadre)

Railway Board

New Delhi, dt. 28.11.2022

No. 2022E(GC)12-112(86)

Copy forwarded to:-

- (i). The Principal Directors of Audit: East Central Railway, Uma Shankar Bhawan, MP colony, Station Road, Hajipur-844101 and South Western Railway, Godrej House, Station Road, Near Prakash Hotel, Hubli-580020.
- (ii). The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhawan, New Delhi.

For Member Finance/Railway Board.

New Delhi, dt. 28.11.2022

No. 2022E(GC)12-112(86)

Copy forwarded to:-

The PFAs, East Central Railway, Uma Shankar Bhawan, MP colony, Station Road, Hajipur-844101 and South Western Railway, Godrej House, Station Road, Near Prakash Hotel, Hubli-580020.

(Ram Ved Shillay)

Dy. Director-II, Estt.(Gaz. Cadre)

Railway Board

Copy to :M/Infra, AM(CE), JS(G), EDE/GC, EDF(E), DE(GC), US(C), US(E), DDF(E)I, E(O)III, SCC & F(E)I Branches, Railway Board

उत्तर प्रवेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-24/टी-3-2022
तखनक : दिनांक: 07 जनवरी, 2022

कार्यालय शाप

तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती नवीता शर्मा, उपनिर्वाहिका, फिरोजाबाद को निलंबित न करने का निर्णय लिया गया है।
से स्थानान्तरित करती हूँ उपनिर्वाहिका, भैरपुरी के पद पर परतद्वारा तैनात किया जाएगा है।

2- उस अधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किसे और तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार प्रभु करना सुनिश्चित करने तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराये। यदि उसका अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार प्रभु नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3- सम्बन्धित निदेशक अधिकारी द्वारा उस स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार नही किया जाता है, तो यह अनुशासनात्मक मामली माना जायेगा। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यभार नहीं दिया जाता है, तो यह अनुशासनात्मक मामली माना जायेगा।

संख्या एवं दिनांक-तारीख

प्रतिनिधि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव श्री रावणपाल, उ०प्र०।
- 2- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, निवृत्ति विभाग।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, तखनक।
- 5- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
- 6- निर्वाहिका, फिरोजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि श्रीमती नवीता शर्मा, उपनिर्वाहिका, तत्काल कार्यभार करने का कष्ट करे।
- 7- निर्वाहिका, भैरपुरी।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार प्रभु करने हेतु, कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हाई कोपी एवं E-mail ID- soappbintment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।
- 9- नियुक्ति अनुभाग-2/7/8
- 10- सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत प्रभावती हेतु।
- 11- विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 12- गार्ड फ़ाइल।

(धनंजय शर्मा)
विशेष सचिव।

22/1

आज्ञा से
(धनंजय शर्मा)
विशेष सचिव।